



## अध्याय V अग्रिम

### 5. अग्रिम भुगतानों पर सेवा कर

16 जून 2005 से लागू संशोधित नियम प्रावधानों के अनुसार, सेवा के प्रावधान के दौरान करयोग्य सेवाओं से सम्बन्धित भुगतान प्राप्त किया जाता है तो भुगतान की प्राप्ति की सीमा तक सेवा कर अदा करने की दायिता होती है। दूसरे शब्दों में, ज्यों ही कोई व्यक्ति करयोग्य सेवाओं का प्रतिफल प्राप्त करता है तो सेवा कर अदा करने के लिए दायी होता है।

**5.1** हमने ऐसे उदहारण पाये जहां प्राप्त अग्रिमों पर सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ था।

- कोलकाता एसटी कमिशनरी में, 2005-06 से 2007-08 के दौरान मै. लारसन एण्ड टोब्रों लिमिटेड ने सीसीएस के लिए मै. भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लि., मै. टाटा स्टील लि. और मै. एनटीपीसी आदि से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। अग्रिम प्राप्त करते समय इसने ₹ 18.13 करोड़ के लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।
- अहमदाबाद एसटी कमिशनरी में, अप्रैल 2007 से फरवरी 2008 के दौरान मै. लारसन एण्ड टोब्रों लि. ने सीसीएस के लिए ₹ 35.01 करोड़ और डब्ल्यूसीएस के लिए ₹ 160.80 करोड़ अग्रिम प्राप्त किये। उसने अग्रिम प्राप्त करते समय ₹ 7.63 करोड़ का लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इंगित किया (अप्रैल 2009), विभाग (अहमदाबाद एसटी कमिशनरी) ने बताया (अगस्त 2009) कि ₹ 16.72 करोड़ और ₹ 6.88 करोड़ के सेवा कर के गैर भुगतान के लिए दो एससीएन जारी किये गये थे।

- जमशेदपुर कमिशनरी में, मै. तारापोर एण्ड कम्पनी ने नवम्बर 2006 और फरवरी 2007 में सीसीएस का प्रावधान करने के लिए क्रमशः ₹ 1.05 करोड़ और ₹ 95.70 लाख का अग्रिम प्राप्त किया था। उसने ₹ 24.78 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।
- विभिन्न बिल्डिंग/सिविल ढांचे के निर्माण के लिए अपनी नियंत्रक कम्पनी को डब्ल्यूसीएस का प्रावधान करने के प्रयोजन से मै. अन्नत राज इन्डस्ट्रीज लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली नियंत्रित कम्पनी ने ₹ 50 लाख की प्रदत्त पूँजी के साथ 4 अक्टूबर 2007 को डब्ल्यूसीएस के अधीन बनाई गई मै. अन्नत राज कन्सट्रक्शन एण्ड डब्ल्यूपर्स प्रा. लि. रजिस्टर की। निर्धारिती ने अपनी नियंत्रक कम्पनी से राशियां जो कि 31 मार्च 2008 को ₹ 57.11 करोड़ थीं, प्राप्त की और ऋण शीर्ष के अन्तर्गत हिसाब में लिया। ये "ऋण" वास्तव में नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त अग्रिम थे क्योंकि करार के अनुसार निर्धारिती को माल की आपूर्ति और निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराये गये अग्रिम थे। अग्रिम को ऋण के रूप में लेने से उन्होंने ₹ 2.33 करोड़ का सेवा कर अदा नहीं किया।

विभाग ने दूसरे मामले में उत्तर दिया (फरवरी 2009) कि निर्धारिती ने बताया था कि कार्य सम्पन्न करने के बाद वह समायोजन बिलों में सेवा कर की दायिता पूरी करता था। निर्धारिती के उत्तर से इस बात की पुष्टि हुई कि प्राप्त किए गए अग्रिमों पर अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। चौथे मामले में विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2010) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया।

उपर्युक्त सभी मामलों में, विभाग को अग्रिम प्राप्त करने और इन राशियों के प्रति भुगतान किये गये सेवा कर की तारीखों के बीच की समयावधि मालूम करनी है। यह भुगतान करने में विलम्ब का द्योतक था, जिसके लिए ब्याज प्रभार्य था। यदि कर का कोई हिस्सा अदा नहीं किया गया था, तो यह उपयुक्त ब्याज और शास्ति के साथ वसूल किया जाना था।

## 5.2 शुल्क की दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अग्रिम पर सेवा कर का कम भुगतान

जुलाई 2005 में बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया, जब किसी सेवा के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतान, जो कि भुगतान प्राप्त करने के समय गैर करयोग्य है, परन्तु सेवा उपलब्ध कराने के दौरान कर योग्य बनता है, ऐसा भुगतान दो अवधियों के बीच उपयुक्त ढंग से आवंटित करना होगा और सेवा उपलब्ध कराने पर या उसके बाद का हिस्सा कर योग्य सेवा बनती है, वही सेवा कर के लिए दायी है। इसी प्रकार, जब भुगतान सेवा उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम में प्राप्त होता है परन्तु बाद में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो ऐसे मामलों में भुगतान किया गया सेवा कर वापसी के लिए दायी है।

इस का अर्थ है कि ऐसा प्रभाजन, सेवाएं उपलब्ध की जा रही किसी कर योग्य सेवा, जिस पर सेवा कर प्रचलित दर पर अदा किया गया है और बाद में सेवा कर की दर बढ़ाई गई है, के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतानों के मामले में भी किया जाना है। बढ़ाई गई दर के बाद उपलब्ध कराई गई सेवा से सम्बन्धित अग्रिम भुगतान की राशि पर बढ़ाई गई दरों से सेवा कर भुगतान योग्य है।

हमने नागपुर कमिशनरी में, सीसीएस और डब्ल्यूसीएस के दो सम्भरकों मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) (पीएसडब्ल्यूआर), नागपुर और मैं सुनील हाई टेक इंजीनियर्स लि. के एसटी-3 विवरणियों में पाया कि उन्होंने सेवाएं मुहैया कराने के लिए क्रमशः जून 2005 से अप्रैल 2006 और सितम्बर 2007 से फरवरी 2008 की अवधियों के दौरान ₹ 72.01 करोड़ और ₹ 34.97 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। इन राशियों में से क्रमशः सीसीएस (18.4.2006) और डब्ल्यूसीएस (1.3.2008) के तहत सेवा कर की दर बढ़ाये जाने की तारीख तक क्रमशः ₹ 4.03 करोड़ और ₹ 34.18 करोड़ समायोजित किये जा सके थे। ₹ 68.77 करोड़ के शेष अग्रिम की सेवा निर्धारिती ने सेवा कर की दर बढ़ाये जाने की तारीख के बाद दी थी। तथापि निर्धारितियों ने समग्र अग्रिम पर पूर्व संशोधित दरों पर सेवा कर अदा किया और बढ़ाई गई दरों के बाद विभेदक सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़

(₹ 1.39 करोड़ और ₹ 1.62 लाख) के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। ₹ 54.09 लाख का ब्याज भी भुगतान योग्य था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मार्च 2008 और फरवरी 2009) मै. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) के मामले में विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2008 और फरवरी 2009) कि कर की दर बढ़ाये जाने की तारीख के बाद मुहैया की गई सेवाओं के लिए बढ़ाई गई दर पर सेवा कर की मांग करने का कोई प्रावधान नहीं था।

बोर्ड के जुलाई 2005 के स्पष्टीकरण के मद्देनज़र विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है।